वन धन विकास केन्द्रों के गठन हेतु कार्य योजना

दिसम्बर 2020 से मार्च 2021

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

भारत सरकार के जनजाति मामलात मंत्रालय द्वारा वन धन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य वन में पैदा होने वाली उपजों, जिस पर जनजाति समुदाय वर्षो से आधारित है, के अधिक से अधिक सदुपयोग करते हुए संग्रहण तथा प्रोसेसिंग इत्यादि में सुधार कर जनजाति समुदाय के लोगों की आय बढ़ाना है। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2022 तक देश में 6000 वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस वित्तीय वर्ष में टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र में 395 एवं माडा क्षेत्र में 160 वन धन विकास केन्द्र बनाये जाने हैं।

इस कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में राज्य के उन 8 जिलों को चिन्हित किया गया है जिनमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र, सहरिया एवं माडा कलस्टरों का अधिक क्षेत्र है। चिन्हित जिलों में इस वर्ष में बनाये जाने वाले वन धन विकास केन्द्रों के लक्ष्य टी.एस.पी. तथा सहरिया क्षेत्र के लिए परिशिष्ट–1 तथा माडा क्षेत्र के लिए परिशिष्ट–2 पर अंकित है।

एक वन धन विकास केन्द्र के गठन पर लगभग 15 स्वयं सहायता समूहों/ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों जिसमें प्रत्येक समूह/समिति में लगभग 20 सदस्य हों, को मिला कर किया जाना है। इस प्रकार एक वन धन विकास केन्द्र से लगभग 300 व्यक्तियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

राजीविका परियोजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में स्वंय सहायता समूह चिन्हित जिलों की विभिन्न पंचायतों में पहले से ही गठित हैं। साथ ही वन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों का गठन इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में किया हुआ है। इस

क्रम में यह प्रस्तावित हैं कि नये स्वंय सहायता समूहों के गठन के बजाय राजीविका के अच्छे समूहों तथा वन विभाग के ''ए'' या ''बी'' ग्रेड की ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति को मिला कर वन धन विकास केन्द्रों का गठन किया जाए।

वन धन विकास केन्द्र के गठन के समय यह ध्यान रखा जाना है कि एक वन धन विकास केन्द्र से ऐसे स्वयं सहायता समूहों या ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति को जोड़ा जाए जो कि एक दूसरे से जुड़ी पंचायतों एवं ग्रामों से हों तथा वन धन विकास केन्द्रों में लिए जाने वाले स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों में कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी जनजाति समुदाय के हों एवं साथ ही ऐसे स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष भी जनजाति समुदाय के व्यक्ति हों। वन धन विकास केन्द्रों के गठन हेतु राजीविका परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये कलस्टरों को भी आधार मान कर इनका गठन किया जा सकता है।

प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र को एक नया नाम दिया जाकर इसके लिए पृथक से बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है। वन धन विकास केन्द्रों के सदस्यों को उनके सामान के भण्डारण, प्रोसेसिंग, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए एक प्रांगण/भवन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जिसके लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुपयोगी सरकारी भवन/ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन तथा राजससंघ के अनुपयोगी प्रांगण इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। राजससंघ के उपलब्ध खाली प्रांगणों तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित एवं उपलब्ध सामुदायिक केंन्द्रों की सूचना भी परिशिष्ट 1 एवं 2 पर अंकित है।

वन धन विकास केन्द्रों के गठन के पश्चात् इनके सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ताकि वे वनों से संग्रहित की गई उपजों के पेटे बेहतर दाम प्राप्त कर सकें।

प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र की स्थापना पर लगभग 1 लाख रू. प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से कुल 15 लाख रू. व्यय किया जाकर इस राशि से प्रशिक्षण तथा उपकरण सामग्री (Training, Equipments/Tool kit) दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में स्वयं सहायता समूहों को आनुपातिक रूप से एक वन धन विकास केन्द्र हेतु अनुमानित 10.00 लाख रू. की आवश्यकता रहेगी।

एक वन धन विकास केन्द्र के पक्के निर्माण पर लगभग 20.00 लाख रू. व्यय किया जाना संभावित है तथा यह राशि एम.एस.पी. फोर एम.एफ.पी. (MSP For MFP) योजना प्रशिक्षण मद के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र हेतु एक प्रबन्धन समिति (Managing Committee) का गठन किया जाना होगा जिसमें इस केन्द्र से जुड़े प्रत्येक स्वंय सहायता समूह/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति से एक–एक प्रतिनिधि होंगे। वन धन विकास केन्द्र के पदाधिकारियों के चयन के साथ–साथ इस समिति के उन सदस्यों को भी चिन्हित किया जाना है जो समिति के लिए लेखा–जोखा, खरीद–फरोख्त, निरीक्षण एवं मार्केटिंग इत्यादि का कार्य देखेंगे। वन धन विकास केन्द्र का बचत खाता केन्द्र के नाम पर खोला जाना है एवं इस हेतु प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर समिति के चयनित पदाधिकारियों को बैंक खाता चलाने के लिए अधिकृत भी किया जाना है।

वन धन विकास केन्द्र के स्तर पर स्वयं सहायता समूह/ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति द्वारा एकत्रित की जा रही लघु वन उपज का लेखा–जोखा रखा जाना है तथा वन धन विकास केन्द्र की प्रबन्धन समिति द्वारा इस प्रकार एकत्रित की गई उपजों की बिक्री एवं इसके मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी है। वन धन विकास केन्द्र के वर्ष भर सुगम संचालन के लिए क्षेत्र में लघु वन उपज के साथ–साथ वहां पर पैदा होने वाली कृषि उपजो, उद्यानिकी उपजो तथा आयुर्वेदिक औषधि इत्यादि को भी जोड़ा जाकर उनका संग्रहण तथा मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।

इन सभी गतिविधियों को ठीक ढंग से संपादित किये जाने हेतु एक कैलेण्डर तैयार किया गया है जो परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। इस कैलेण्डर से विभिन्न स्तर पर सम्पादित होने वाली गतिविधियों को समय पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला कलक्टरों की होगी। जिला कलक्टरगणों द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आदेश दिनांक 27.11.2019 तथा 05.10.2020 (परिशिष्ट–4 एवं 5) द्वारा गठित समितियों के माफर्त किया जाएगा। इन समितियों को इस कार्य के निष्पादन में ट्राईफेड द्वारा भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों/ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के अध्यक्षों द्वारा परिशिष्ट–6A एवं 6B में उपलब्ध कराये गये प्रारूप के अनुरूप सूचनाऐं तैयार की जाकर इसे पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 26 जनवरी, 2021 की ग्राम /पंचायत की बैठक में लाया जाएगा।

स्वयं सहायता समूह/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति द्वारा लाई गई सूचना के आधार पर पंचायत मुख्यालय पर होने वाली बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–7 में अंकित

प्रारूप में तैयार कराया जाएगा। साथ ही परिशिष्ट 6A एवं 6B में प्राप्त सूचना को पंचायत स्तर पर 24 कॉलम की एक्सेल शीट में भरा जाएगा। तत्पश्चात् इन परिशिष्टों तथा कार्यवाही विवरण की हार्ड कॉपी के साथ एक्सेल शीट में डाली गई सूचना सॉफ्ट कॉपी में पंचायत समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

पंचायत समिति स्तर पर प्रत्येक दिन एक से दो पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों, वन धन केन्द्रों के प्रतिनिधियों इत्यादि को बुलाकर वन धन केन्द्र का बिजनेस प्लान इत्यादि तैयार कराया जाए तथा उसी दिऩ आवश्यक डाटा एंट्री सीधे पोर्टल पर की जाएगी।

लक्षित सभी वन धन केन्द्रों के बारे में सूचना पोर्टल पर डालने के बाद पंचायत समिति स्तर पर प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से ही स्टेट इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी को प्रेषित किए जाएंगे।

बिजनेस प्लान तैयार करने तथा डाटा एंट्री के लिए ट्राईफेड द्वारा ऑन लाईन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा तथा साथ ही अन्य आवश्यक सहयोग जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा संबंधित जिलों/पंचायत समितियों को पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट–1

Targets for VDVKs in TSP and Saharia Areas							
District	**Block**	**No. of Panchayats**	**No. of Villages in TSP Block**	**No.of VDVKs to be made**	**Rajivika SHGs in Block**	**Unutilised Community Centres of TAD**	**Unutilised buildings/ godowns of RTADCF**
Banswara							
	Ghatol	56	252	**20**	1,409	**9** (Rujia, Chirawala Gadha, Dungar, Theekaria Chandrawat, Bassi Aada, Motagaon, Devda, Narwai)	0
	Garhi	39	127	**10**	1,504	**15** (Timurwa, Reyana, Malana, Kheran ka Pada, Ador, Biloda, Kotra, Bhagatpura, Ghalakia, Borwat, Malwasa, Masotia, Sundarpur, Sagdod, Devlia)	1 (Garhi)
	Banswara	37	177	**10**	984	**19** (Barwala Rajia (3), Limthan, Survania, Samria (2), Chachakota (2), Nayagaon (3), Nalda (2), Nawakheda, Aambapura, Lodha (2),Ganau)	0
	Bagidora	25	75	**5**	785	0	1 (Bagidora)
	Arthuna	23	85	**5**	805	0	0
	Choti Sarvan	19	110	**5**	51	0	1 (Chhoti Sarvan)
	Gangartalai	24	97	**5**	599	0	0
	Sajjangarh	33	189	**10**	1196	0	0
	Anandpuri	29	136	**5**	1747	0	0
	Talwara	23	70	**5**	599	0	0
	Kushalgarh	38	214	**10**	920	0	1 (Kushalgarh)
Sub Total		**346**	**1532**	**90**	**10,599**	**43**	**4**

Dungarpur	Dungarpur	32	206	**10**	865	**1** (Comunity Centre at Tribal Model School Surpur)	0
	Aspur	26	88	**5**	608	**1** (Community Centre at Tribal Hostel Faloz, Dowda)	0
	Sagwara	41	185	**15**	1,434	0	1 (Sagwara)
	Bicchiwara	37	106	**10**	1108	0	0
	Simalwara	29	113	**5**	634	0	0
	Dowra	25	NA	**5**	1293	0	0
	Jonthri	25	57	**5**	958	0	0
	Sabla	26	86	**5**	844	0	0
	Chikli	25	83	**5**	832	0	0
	Galiyakot	25	63	**5**	609	0	0
Sub Total		**291**	**987**	**70**	**9185**	**2**	**1**
Udaipur	Gogunda	26	186	**5**	643	**2** (Modi, Kakan ka Guda)	0
	Girwa	36	95	**10**	515	**3** (Girwa Kodiyat B, Kodiyat, Girwa)	0
	Kotra	44	262	**15**	1411	**2** (Daang, Gogrud)	0
	Jhadol	31	283	**10**	1160	**1** (Maanas)	0
	Lasadia	19	114	**5**	603	0	0
	Salumbar	32	268	**10**	845	0	1 (salumber)
	Sarada	34	191	**10**	1057	0	1 (Sarada)
	Rishabdev	28	125	**5**	1342	0	0
	Mavli	49	4	**15**	256	0	0
	Kherwara and Nayagaon	45	195	**15**	2047	**2** (Bachhar, Guda)	0
	Badgaon	25	35	**5**	655	0	0
	Bhindar	52	22	**20**	1200	0	0
	Jhallara	22	NA	**5**	684	0	0
	Phalasiya	28	NA	**5**	1028	0	0
	Sayra	25	NA	**5**	646	0	0
	Kurabad	24	NA	**5**	193	0	0
	Semari	24	NA	**5**	250	0	0
Sub Total		**544**	**1780**	**150**	**14535**	**10**	**2**
Pratapgarh	Dhariawad	38	167	**10**	1109	**3** (Gopalpura (2), Chauhano ka Khet)	0

	Peepalkhoont	31	207	**10**	1628	0	0
	Arnod	29	181	**5**	1275	0	0
	Pratapgarh	43	293	**15**	1330	**2** (Pratapgarh, Dhamotar)	0
	Chhoti Saadri	24	155	**5**	221	**2** (Chhoti Sadari, Bhanwar Mata)	0
Sub Total		**165**	**1003**	**45**	**5563**	**7**	**0**
Sirohi	Abu Road	32	85	**10**	1222	**1** (Amthala)	0
	Pindwada	43	51	**15**	1298	**1** (Bhavri)	0
Sub Total		**75**	**136**	**25**	**2520**	**2**	**0**
Baran	Shahbaad	27	236	**5**	1,046	0	2 (Samraniya)
	Kishanganj	32	213	**10**	1,129	0	0
Sub Total		**59**	**449**	**15**	**2,175**	**0**	**2**
Grand Total		**1480**	**5887**	**395**	**44577**	**64**	**9**

परिशिष्ट–2

Targets for VDVKs constitution in MADA Areas							
District	**Block**	**No. of Panchayats - Block Wise**	**Villages in MADA Block**	**No.of VDVKs to be made**	**Rajivika SHGs in Block**	**Unutilised Community Centres of TAD**	**Unutilised Buildings/ Godowns of RTADCF**
Jhalawar							
	Aklera	9	113	**30**	1447	0	0
	Manoharthana	14	12	**0**	1216	0	0
	Jhalrapatan	24	75	**20**	1004	0	0
	Khanpur	17	41	**10**	1039	0	0
Sub Total		**64**	**241**	**60**	**4706**	**0**	**0**
Kota	Pipalda	30	52	**20**	1088	0	0
	Digod	30	26	**10**	1200	0	0
	Ramganj Mandi	35	29	**10**	1436	0	0
Sub Total		**95**	**107**	**40**	**3724**	**0**	**0**
Baran	Mangrol	17	30	**10**	540	0	0
	Chhipabarod	30	68	**20**	1642	0	0
	Chhabra	27	57	**20**	851	0	0
	Baran	25	20	**10**	699	0	0
Sub Total		**99**	**175**	**60**	**3732**	**0**	**0**
Grand Total		**258**	**523**	**160**	**12162**	**0**	**0**

परिशिष्ट–3

गतिविधियों का कैलेण्डर

क्रम संख्या	अवधि	गतिविधि
1	23 से 31 दिसंबर, 2020	जिला स्तरीय बैठक का आयोजन–जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, वन विभाग एवं राजीविका योजना के संबंधित अधिकारी, संबंधित विकास अधिकारीगण ,उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
2	1 से 10 जनवरी, 2021	पंचायत समिति स्तर पर राजीविका कलस्टर/ वन विभाग के संबंधित अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के साथ बैठक तथा उन पंचायतों का चिन्हीकरण जहां वनधन केन्द्र गठित किए जाने है तथा उन्हें फॉर्म इत्यादि उपलब्ध करवाया जाना।
3	1 से 10 जनवरी, 2021	ट्राईफेड दिल्ली द्वारा बिजनेस प्लान तैयार करने एवं डाटा एंट्री के बारे में ऑन–लाइन प्रशिक्षण दिया जाना।
4	11 से 18 जनवरी, 2021	ग्रामीण विकास/पंचायती राज एवं वन विभाग के फील्ड अधिकारियों द्वारा संबंधित स्वयं सहायता समूहों एवं वीएमपीएमसी के अध्यक्षों को खाली फॉर्म उपलब्ध करवाया जाना एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना।
5	18 से 25 जनवरी, 2021	स्वयं सहायता समूहों एवं वीएफपीएमसी के अध्यक्षों द्वारा फॉर्म को भरा जाना।
6	26 जनवरी, 2021	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संबंधित स्वयं सहायता समूह/वीएफपीएमसी के अध्यक्षों की बैठक जिसमें वन धन केंद्र बनाये जाने हेतु बैंक खाता खोले जाने इत्यादि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाना।
7	26 से 31 जनवरी, 2021	वन धन केंद्रों का बैंक खाता खोला जाना।
8	27 से 31 जनवरी, 2021	पंचायत स्तर पर वन धन केन्द्रों के संबंध में परिशिष्ट 6। तथा 6ठ की सूचना एक्सल में प्रविष्ट करना।
9	31 जनवरी से 15 फरवरी 2021	पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम पंचायत से एक्सल शीट में प्राप्त सूचना को पोर्टल पर डाला जाना, प्रतिदिन 2–3 पंचायतों का बिजनेस प्लान तैयार कर डाटा एंट्री किया जाना।
10	15 से 20 फरवरी 2021	विकास अधिकारी द्वारा तैयार प्रस्तावों को पोर्टल के माध्यम से स्टेट इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी को प्रेषित किया जाना।
11	20 से 28 फरवरी 2021	जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा उपरांत इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना।
12	1 से 5 मार्च 2021	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा उपरांत इसे स्वीकृति हेतु ट्राईफेड, दिल्ली प्रेषित किया जाना।

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक– प.6(35)प्र.सु./अनु.–3/2019/ जयपुर, दिनांक 27/11/2019

आदेश

भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एमएसपी फॉर एमएफपी (वन धन योजना) हेतु जारी की गई गाईडलाईन्स के अन्तर्गत संबधित जिला कलक्टर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, सिरोही एवं बारां की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वनयन ईकाई/जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

क.स.	विभाग का नाम	पदनाम
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3.	सहायक/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य
4.	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
5.	जिला उद्योग अधिकारी	सदस्य
6.	सहायक/उप वन संरक्षक	सदस्य
7.	लघु वन उपज अधिकारी, ट्राईफेड	सदस्य
8.	महा प्रबन्धक, राजससंघ उदयपुर	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति की बैठक समय–समय पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जाकर योजना की कियान्विति एवं सामयिक मोनेटरिंग का कार्य करेगी। उक्त समिति का कार्यकाल योजना अवधि तक रहेगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से

(अरूण प्रकाश शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक– प.6(35)प्रसु/अनु.3/2019 जयपुर, दिनांक– 5.10.2020

आदेश

भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड), जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एमएसपी फॉर एमएफपी (वन धन योजना) हेतु जारी की गई गाईडलाइन्स के अन्तर्गत राज्य के माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के लिए संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कियान्वयन इकाई/जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य
4.	जिला उद्योग अधिकारी	सदस्य
5.	उप /सहायक वन संरक्षक	सदस्य
6.	लघु वन उपज अधिकारी, ट्राईफेड	सदस्य
7.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति की बैठक समय–समय पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी। समिति का कार्यकाल योजना अवधि तक रहेगा तथा उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) वनधन योजना के लिए जिला नोडल अधिकारी (माडा क्षेत्र) एवं अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर राज्य नोडल अधिकारी (माडा क्षेत्र) होंगे व उपर्युक्त समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

5.10.2020

(अरूण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

स्वयं सहायता समूह/वीएफपीएमसी के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

1. जिला .....
2. पंचायत समिति .....
3. पंचायत का नाम .....
4. ग्राम का नाम .....
5. ग्राम का पिन कोड .....
6. स्वयं सहायता समूह/वीएफपीएमसी का नाम .....
7. लघुवन/कृषि/उद्यानिकी/औषध उपज जिसका संग्रहण किया जाता है/जा सकता है :

i.	iv.
ii.	v.
iii.	vi.

8. बैंक मय शाखा का नाम .....
9. बैंक खाता नम्बर .....
10. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड .....

परिशिष्ट– 6B

क्र. स.	समूह/ समिति में सदस्य (संग्रहणकर्ता) का नाम (1)	श्रेणी (ST/ others) (2)	जन्म वर्ष (3)	लिंग (4)	पिता का नाम 5)	माता का नाम (6)	परिवार में सदस्यों की संख्या (7)	शिक्षा (8)	व्यवसाय (9)	आईडी (आधार/वोटर कार्ड) (10)	आईडी नं (11)	बैंक खाता नं (यदि उपलब्ध नही हो, तो भरना आवश्यक नही है) (12)	मोबाइल नं (यदि उपलब्ध नही हो, तो भरना आवश्यक नही है) (13)	वाहन (उपलब्ध है अथवा नही, यदि हो, तो वाहन का प्रकार) (14)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

क्र. स.	समूह/ समिति में सदस्य (संग्रहणकर्ता) का नाम (1)	श्रेणी (ST/ others) (2)	जन्म वर्ष (3)	लिंग (4)	पिता का नाम (5)	माता का नाम (6)	परिवार में सदस्यों की संख्या (7)	शिक्षा (8)	व्यवसाय (9)	आईडी (आधार/वोटर कार्ड) (10)	आईडी नं (11)	बैंक खाता नं (यदि उपलब्ध नही हो, तो भरना आवश्यक नही है) (12)	मोबाइल नं (यदि उपलब्ध नही हो, तो भरना आवश्यक नही है) (13)	वाहन (उपलब्ध है अथवा नही, यदि हो, तो वाहन का प्रकार) (14)
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

स्वयं सहायता समूह/ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति

परिशिष्ट– 7

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक –––––––––– को ––––– बजे –––––––– पर ग्राम पंचायत मुख्यालय ––––––––––––––––, पंचायत समिति ––––––––––– पर वन धन केन्द्र गठन करने हेतु आयोजित बैठक में परिशिष्ट–8 में अंकत समूहों/समितियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये –

1. प्रस्तावित **''वन धन विकास केन्द्र का नाम ––––––––––''**

2. प्रस्तावित वन धन विकास केन्द्र हेतु निम्नांकित पदाधिकारी विभिन्न कार्यों को देखेंगेः–

क्र.स.	नाम	पद	आधार नम्बर	मोबाइल नम्बर
1		अध्यक्ष		
2		उपाध्यक्ष		
3		सचिव		
4		कोषाध्यक्ष		
5		क्रय समन्वयक		
6		प्रशिक्षण समन्वयक		
7		मूल्य संवर्द्धन समन्वयक		
8		विपणन समन्वयक		
9		आई.टी. समन्वयक		

3. उक्त वनधन विकास केन्द्र का बैंक खाता ––––––––––––––– बैंक, शाखा ––––––––––––– में खोला जाएगा जिसका लेन–देन अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4. परिशिष्ठ–8 में अंकित स्वंय सहायता समूहों/ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के पास उपलब्ध रक्षित कोष (Corpus Fund) में ———————— रू. की राशि है जिसमें से वनधन विकास केन्द्र के लिये ———–रू की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

5. इस वन धन केन्द्र से जुड़ने वाले स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों का विवरण (परिशिष्ट 6A एवं 6B) संलग्न है।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

———————————

परिशिष्ट–8

राजीविका/वी.एफ.पी.एम.सी. के उपस्थित अध्यक्षों की उपस्थिति मय हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम (राजीविका/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति समूह)	नाम अध्यक्ष	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				